UPBS120000312021

**न्यायालय CIVIL JUDGE (J.D. KLD. at BASTI), Basti**

**पीठासीन अधिकारी–** (DIKSHA AGARWAL), (उ०प्र० न्यायिक सेवा)– UP03335

मूलवाद सं० 25/2021

विनोद पाल बनाम ग्राम पंचायत आदि

02.09.2022

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर उभयपक्ष मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली आज प्रार्थनापत्र 21 ग 2 के निस्तारण हेतु नियत है।

वादी द्वारा प्रार्थनापत्र 21 ग 2 प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि प्रस्तुत वाद में विवादित भूमि की स्थिति को समझने के लिए विवादित स्थल की रिपोर्ट जरिए अदालत अमीन/सर्वे कमिश्नर मंगवाया जाना आवश्यक है।

प्रतिवादी द्वारा आपत्ति कागज सं० 23 ग 2 प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि प्रार्थनापत्र में जिन बिन्दुओं पर पैमाइश के बाबत निवेदन किया गया है, वह अस्पष्ट हैं। प्रस्तुत वाद में लोकेशन का कोई विवाद नहीं है। अतः प्रार्थनापत्र निरस्त होने योग्य है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि वादी द्वारा प्रार्थनापत्र 21 ग 2 के माध्यम से विवादित भूमि की रिपोर्ट एवं नक्शा जरिए अदालत अमीन /सर्वे कमिश्नर मंगवाये जाने की याचना की गयी है। न्यायालय की राय में वादग्रस्त भूमि की वस्तुस्थिति स्पष्ट करने तथा वाद के प्रभावी न्याय निर्णयन हेतु मौके का सर्वे मैप जरिए अदालत अमीन मंगवाया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है। अतः प्रार्थनापत्र 21 ग 2 न्यायहित में स्वीकार किए जाने योग्य है।

**आदेश**

प्रार्थनापत्र 21 ग 2 स्वीकार किया जाता है। वादी पूर्ण पैरवी अन्दर सप्ताह करे। बाद पैरवी अदालत अमीन को परवाना जारी हो। अदालत अमीन को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थनापत्र 21 ग 2 पर अंकित तथ्यों के आलोक में मौके पर नियमानुसार पैमाइश करके अपनी आख्या नियत तिथि तक दाखिल करना सुनिश्चित करे। पत्रावली वास्ते इन्तजार अमीन रिपोर्ट दिनांक 31.10.2022 को पेश हो।

नियत अवधि के भीतर पूर्ण पैरवी न करने की दशा में यह आदेश स्वतः निष्प्रभावी माना जाएगा।

सिविल जज (जू०डि०)
खलीलाबाद स्थान बस्ती।